

# छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सामने

पेंशन बाड़ा, रायपुर -492001

मिडियम टू एजइबण्डहण्डपबण्डदए म्ठंपस. बहजइबण्डकपेजतपइनजपवद/हठंपसण्डवउ

क्रमांक

## गोदाम भवन किराया हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2017

निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	:-	15-02-2017 शाम 5.00 बजे तक
भरे हुए निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	:-	16-02-2017 शाम 5.00 बजे तक
प्राप्त तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	:-	17-02-2017समय 12.00 बजे तक
निविदा फार्म की कीमत	:-	5000.00 ( पाँच हजार रूपये मात्र)



# छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सामने

पेंशन बाड़ा, रायपुर -492001

टेलीफैक्स + 91-771-2273151, 2272531

ईमेलपेजम दू. एजडबणहणदपबणपदए स्पंपस. बहजडबणकपेजतपइनजपवद/हरंपसणबवउ

## गोदाम किराया बाबत आवेदन पत्र

1. गोदाम भवन स्वामी का नाम.....
2. पता .....
3. संपर्क नम्बर – कार्यालय :.....मोबाईल .....
4. पैन नम्बर .....
5. टिन नम्बर .....
6. गोदाम भवन का पूर्ण पता .....
7. नगर निगम सीमा से दूरी .....
8. भूमि के संबंध में संलग्न दस्तावेज – कुल पृष्ठ .....
- (अ) रजिस्ट्री की छायाप्रति, खसरा नं. एवं बी-1 की प्रति
- (ब) गोदाम भवन का नक्शा (विधिवत् अनुमोदित)
- (स) डीड
- (द) गोदाम का आंतरिक क्षेत्रफल (लंबाई .....ग चौड़ाई .....त्र  
कुल क्षेत्रफल ..... ) (वर्गफीट में)
- (इ) अन्य दस्तावेज .....

### घोषणा पत्र

मैं/हम .....जो कि फर्म..... का मालिक हूँ/हैं, यह प्रमाणित करता हूँ/हैं कि उक्तानुसार भवन को छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के पुस्तक डिपो हेतु किराए पर देने हेतु सहमत हैं। मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही है। मेरे/हमारे द्वारा नियम/निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन कर लिया गया है, एवं मैं/हम उक्त नियम/शर्तों को पालन करने हेतु बाध्य हैं। गोदाम के निर्माण अथवा अन्य विवाद की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी उपरोक्तानुसार हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

दिनांक :-.....

स्थान :-.....

हस्ताक्षर आवेदक

नाम :-.....

पता :-.....

फोन/मो. नं. ....



# छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सामने

पेंशन बाड़ा, रायपुर -492001

टेलीफ़ैक्स + 91-771-2273151, 2272531

मईपजम . णबहजइबणबहेजंजमणहवअण्पदए स्उंपस. बहजइबणकपेजतपइनजपवद/ हउंपसणवउ

## नियम एवं शर्तें

1. गोदाम मासिक किराया संबंधी निर्धारित आवेदन पत्र निगम में कार्यालयीन समय पर राशि रूपये 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त करना होगा। इस रसीद को तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना होगा। यह राशि वापसी योग्य नहीं होगा।
2. आवेदन पत्र तथा सभी संलग्न दस्तावेजों पर गोदाम भवन स्वामी के हस्ताक्षर (फर्म की सील सहित) होना चाहिये।
3. आवेदक द्वारा किराया हेतु प्रस्ताव दो पृथक-पृथक लिफाफों में दिया जाना होगा। पहला तकनीकी लिफाफा व दूसरा वित्तीय होगा।
4. तकनीकी लिफाफे में भवन का नक्शा/बी-1/ले आउट/निर्माण अनुज्ञा पत्र एवं अन्य जानकारियाँ दी जाएगी।
5. वित्तीय लिफाफा में गोदाम भवन हेतु प्रस्तावित किराया प्रति माह प्रति वर्गफीट (समस्त कर सहित) उल्लेख करना होगा। किराया के अतिरिक्त अन्य कोई राशि मान्य नहीं होगी। अर्थात् किराए की राशि के अन्तर्गत ही शासकीय टैक्स एवं अन्य समस्त टैक्स की राशि शामिल होगी।
6. दोनों लिफाफे सीलबंद पृथक-पृथक जमा करना होगा तथा उन लिफाफो पर बड़े अक्षरों में “तकनीकी लिफाफा” तथा “वित्तीय लिफाफा” के साथ फर्म/भवन स्वामी का नाम लिखना होगा।
7. तकनीकी लिफाफा में आवश्यकतानुसार जानकारियाँ सही पाई जाने पर निगम के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। अथवा डिपो प्रभारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया जावेगा। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के पश्चात् केवल तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये गये भवनों के ही वित्तीय दर के लिफाफे खोले जायेंगे, जिसके लिये आपको दिनांक/समय से अवगत कराया जाएगा।
8. गोदाम के लिए आवश्यक सुविधाएँ निम्नानुसार होनी चाहिए

1	गोदाम भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिये जहाँ 24 घंटे भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध न हो।
2	गोदाम के समक्ष चौड़ी सड़क/खुली जगह होनी चाहिए।
3	प्राकृतिक रोशनी पर्याप्त हो।
4	24 घंटे बिजली, पानी की सुविधा हो।
5	गोदाम सुरक्षित कम्पाउंड से घिरा हुआ हो।
6	नगर निगम सीमा के अंतर्गत अथवा समीप हो।

7	क्र.	डिपो का नाम	आवश्यकतानुसार अनुमानित आंतरिक क्षेत्रफल
	01	राजनांदगाँव	13000 वर्गफुट
	02	रायगढ़	13000 वर्गफुट

9. तकनीकी लिफाफा में उक्त सभी जानकारीयों से संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जायेंगे । **अपूर्ण प्रस्तावों** पर विचार नहीं किया जायेगा ।
10. **पूर्ण रूप से निर्मित** गोदाम भवन के प्रस्ताव ही मान्य किए जायेंगे। अपूर्ण अथवा निर्माणाधीन गोदाम भवन पर विचार नहीं किए जायेंगे ।
11. किसी गोदाम भवन के प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करना निगम का अधिकार होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निगम का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. गोदाम भवन परिसर में ही निगम की आवश्यकतानुसार जल आपूर्ति व्यवस्था, बाथरूम एवं शोचालय सहित **कार्यालय** के लिए कम से कम 400 वर्गफीट का भवन निर्माण करना होगा ।
13. मात्र गोदाम का न्यूनतम दर प्राप्त होना, गोदाम किराया स्वीकृति का आधार नहीं होगा। गोदाम की स्थिति, जगह एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर गोदाम चयन का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।
14. **गोदाम भवन एकमुश्त या एक ही परिसर में होना चाहिए।**
15. उपयुक्त पाए गए गोदाम भवन के स्वामी के साथ निगम के द्वारा **100.00** रु. के नान-ज्यूडिशियन स्टाम्प पेपर पर दो गवाहों के साथ **अनुबंध** निष्पादित करना होगा। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अधिकारी तथा गोदाम भवन स्वामी के दो-दो गवाह पूरे नाम, पता सहित अनुबंध पत्र में निर्धारित स्थान पर समक्ष में हस्ताक्षर करेंगे।
16. गोदाम भवन के आधिपत्य दिनांक से किराया दिया जाएगा ।
17. निविदा आवेदन प्रस्तुत करने का आश्रय है कि गोदाम भवन स्वामी/फर्म/संस्था ने निविदा के सभी नियमों का अध्ययन कर लिया है, तथा उन्हीं नियमों व शर्तों के तहत किराए पर देने हेतु सहमत है।
18. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति पर निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय मान्य होगा।
19. अंतिम रूप से किसी विवाद की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के अधीन विवादों का निपटारा किया जाएगा।

**महाप्रबंधक**  
**छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम**  
**रायपुर (छ.ग.)**

## गोदाम भवन किराया बाबत् वित्तीय लिफाफा

गोदाम भवन किराए पर देने हेतु मैं/हम निम्नानुसार दरें प्रस्तावित कर रहा हूँ/हैं :-

प्रस्तावित गोदाम का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	दर प्रति माह (प्रति वर्गफीट रूपए में) (समस्त कर सहित)	शब्दों में (समस्त कर सहित)

हस्ताक्षर आवेदक/प्रस्तावक

नाम :-.....

पता :-.....

.....

फोन/मो. नं. ....

## गोदाम भवन किराया बाबत अनुबंध पत्र का प्रारूप

यह अनुबंध श्री ..... आत्मज श्री ..... आयु लगभग वर्ष ..... निवासी ..... (जिसे आगे चलकर भवन स्वामी अथवा प्रथम पक्षकार कहा गया है) जो कि इस अनुबंध के प्रथम पक्षकार हैं तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर जिसे आगे चलकर निगम का द्वितीय पक्षकार कहा गया है । जो कि इस अनुबंध का दूसरा पक्षकार है के मध्य आज दिनांक ..... को निष्पादित किया जा रहा है ।

यह कि प्रथम पक्षकार का भवन ..... में स्थित है, एवं जिसका चौड़ाई क्षेत्रफल ..... है को द्वितीय पक्षकार को जिलाध्यक्ष कार्यालय ..... द्वारा निर्धारित मासिक किराये (निगम द्वारा वर्तमान में भुगतान की जा रही मासिक किराया राशि ..... रुपये मात्र पर द्वितीय पक्षकार को देने हेतु इच्छुक हैं। द्वितीय पक्षकार उपरोक्त कथनानुसार भवन को किराये पर प्राप्त करने हेतु सहमत है ।

यह कि कार्यालय एवं गोदाम हेतु द्वितीय पक्षकार को प्रदत्त किये जाने वाले भवन का चौड़ाई क्षेत्रफल लगभग ..... एवं जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है—

1. पूर्व में — .....
  2. पश्चिम में — .....
  3. उत्तर में — .....
  4. दक्षिण में — .....
1. यह कि उक्त किराया अनुबंध दिनांक ..... से आगामी तीन वर्षों तक की अवधि हेतु अपरिवर्तनीय होगा । प्रत्येक माह के किराये का भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा कैलेंडर माह की 10 तारीख तक देय होगा ।
  2. यह कि भवन स्वामी प्रथम पक्षकार उपरोक्त वर्णित अवधि में किराये पर दिये गये भाग को अच्छी तरह से रखेगा एवं भवन में होने वाले आवश्यक सुधार स्वयं के व्यय से करेगा ।
  3. यह कि प्रथम पक्षकार भवन स्वामी स्वयं के व्यय से उपरोक्त वर्णित भवन की पुताई दो वर्ष के अंतराल के पश्चात् करवाने हेतु सहमत हैं ।
  4. यह कि चरण क्रमांक-2 एवं 3 दर्शाये कार्य को यदि प्रथम पक्षकार एक माह के अंदर नहीं करता है, तो द्वितीय पक्षकार निगम को यह अधिकार होगा कि वह उक्त कार्य स्वयं के खर्च से निष्पादित करवाकर व्यय की गई राशि भवन किराये की राशि में से समायोजित कर ले इस हेतु प्रथम पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

5. यह कि भवन स्वामी प्रथम पक्षकार उक्त भवन पर लगने वाले समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा अशासकीय निकायों द्वारा लगाये गये समस्त करों का भुगतान करने हेतु आबद्ध है ।
6. यह कि द्वितीय पक्षकार निगम उपरोक्त वर्णित भवन को किरायाधीन अवधि में सही हालत में रखेगा । यदि निगम की गलती से कोई टूट-फूट या नुकसान होता है तो उक्त टूट-फूट का भुगतान द्वितीय पक्षकार/निगम द्वारा किया जावेगा ।
7. यह कि किरायाधीन भवन में यदि किसी प्रकार के एडीशन आल्ट्रेशन की आवश्यकता महसूस की जाती है, उसके लिये निगम द्वारा एक माह की लिखित में सूचना दिये जाने पर संबंधित कार्य सूचना प्राप्ति के दिनांक के एक माह के अंदर पूर्ण करवाने की समस्त जवाबदारी भवन स्वामी की होगी । निश्चित समय-सीमा में कार्य करवाकर न देने अथवा अधूरा कार्य करवाकर देने की दशा में पूर्ण अथवा अपूर्ण कार्य (जैसे भी स्थिति हो) भवन स्वामी के खर्च पर पूर्ण करवाया जाकर उस पर खर्च हुई राशि किराये में से काट लेने का अधिकार निगम को होगा ।
8. यह कि इस अनुबंध के अंतर्गत किरायाधीन भाग कैलेंडर माह में व्यय की गई बिजली, पानी के देयकों का भुगतान निगम अर्थात् द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा ।
9. यह कि प्रथम पक्षकार के किरायाधीन परिसर हेतु पृथक-पृथक बिजली एवं पानी का मीटर उपलब्ध करवायेगा । जिसका उपयोग का अधिकार द्वितीय पक्षकार का ही होगा ।
10. यह कि उपरोक्त वर्णित भवन का उपयोग निगम द्वारा भण्डारण/गोदाम कार्यालय तथा आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों के निवास के रूप में किया जावेगा ।
11. यह अनुबंध आधिपत्य लेने के दिनांक ..... से आधिपत्य छोड़ने के दिनांक .....तक प्रभावशील रहेगा । परंतु आवश्यकता न होने की स्थिति में निगम उक्त अवधि के पूर्व भी भवन को एक माह का लिखित सूचना पत्र प्रथम पक्षकार को या द्वितीय पक्षकार द्वारा एक माह पूर्व निगम को लिखित सूचना देकर भवन को रिक्त कर सकता है । लिखित सूचना-पत्र में रिक्त बावत् सूचना पत्र के पश्चात् का कोई भी क्लेम द्वितीय पक्षकार द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा ।
12. यह कि निगम भवन को रिक्त करते समय अच्छी हालत में भवन स्वामी प्रथम पक्षकार को प्रदत्त करेगा ।
13. यह कि अनुबंध के पंजीयन कराने में आने वाला समस्त खर्चा भवन मालिक प्रथम पक्षकार द्वारा वहन किया जावेगा ।
14. यह कि द्वितीय पक्षकार निगम उक्त भवन को उप किरायेदारी पर किसी अन्य को प्रदत्त नहीं करेगा ।

15. यह कि भवन के स्वामित्व के बारे में किसी प्रकार का कोई विवाद उठने की दशा में किराए पर भुगतान सक्षम अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा अधिकृत किये गये व्यक्ति को अथवा संस्था को किया जावेगा ।

अतः यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ..... को पक्षकारगणों की सहमति एवं स्वेच्छा से निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया जा रहा है। जो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

भवन स्वामी/प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

नाम .....

प्रबंध संचालक  
छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम,  
रायपुर

गवाह के हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर

1.....

पता .....

1.....

पता .....

2.....

पता .....

2.....

पता.....